



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-1117

New Delhi: 12.10.2021

Sh. Pankaj Kumar
S/o Sh. Vishnu Dutt
Gram Ajmatgarh, Post-Mansurpur
Jila-Mujaffarnagar-251203
UP
Mobile-9410651863

Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.

Reference: Your RTI application dated 13.09.2021 received through CGM/Meerut office on 11.10.2021.

Your RTI application has been received at CGM/Meerut office on 11.10.2021. The information w.r.t the same is enclosed.

First Appeal if any may be made to the First Appellate Authority within 30 days of receipt of reply. The name, designation & address of the First Appellate Authority is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.

DA: 04 sheets

(S.K. Panda)
JGM/Admn.(CPIO)
Mob.-9717636811
E-mail: skpanda@dfcc.co.in



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved

Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

पत्रांक: एम0टी0सी0 / ई0एन0 / आर0टी0आई0 / भाग-8

दिनांक: 11.10.2021

डिप्टी.जीएम/एडमिन (पीआईओ)

कॉरपोरेट ऑफिस, डीएफसीसीआई0एल,

न्यू दिल्ली।

विशय: जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आवेदनकर्ता श्री पंकज कुमार पुत्र श्री विष्णु दत्त, ग्राम अजमतगढ़, पोस्ट-मन्सूरपुर, जिला-मुजफ्फरनगर, पिन-251203, मो0-9410651863 का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2021 (प्राप्ति दिनांक 15.09.2021).

संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी सूचना की जानकारी निम्नवत्त है।

क्रम सं०	आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना	मांगी गयी सूचना की जानकारी
1	यह कि याची के उक्त दोनो पत्रो पर महोदय के स्तर से पृथक-पृथक क्या कार्यवाही की गयी सूचित करने का कष्ट करें।	पत्रांक 08.07.2019 व 13.07.2021 के माध्यम से सूचित किया गया है कि सरकारी चकमार्ग न होने के कारण अण्डरपास दिया जाना संभव नहीं है तथा उक्त के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से समस्या के निराकरण हेतु संपर्क करें।
2	यह कि कार्यालय नियमानुसार हमारे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही हो जानी चाहिये थी क्या हमारे मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया है।	
3	यह है कि उक्त अधिकारी/कर्मचारीयों का नाम व पदनाम बताये जिन्होंने प्रार्थी की जमीन का बंजर बनाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की।	इस समस्या के निराकरण हेतु सक्षम प्रधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें।
4	अपना काम ठीक से न करने और किसानों को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी। यह कार्यवाही कबत क की जायेगी।	
5	अब हमारा काम कब पूरा होगा ताकि हम अपनी जमीन में कृषि कार्य कर सकें।	

(महावीर सिंह)

उप.परि० प्रबन्धक/विद्युत (पी.आई.ओ.)

डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मेरठ।

Copy to:

- 1) GM/Co-ord./MTC – For kind information please.
- 2) GM/MA/EC-III – For kind information & necessary action.